न्यायालय : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : गार्गी चौधरी, RJS

फौजदारी प्रकरण संख्या : 986/2020

CIS संख्या : 986/2020

FIR संख्या व पुलिस थाना : 127/2020 पुलिस थाना सूरवाल

CNR संख्या : RJSM020021432020

सरकार बनाम महावीर वगै.

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 354, 34 IPC

भाग प्रथम

A

परिवादिया	रामविलास पुत्र कल्लू निवासी झोंपडा पुलिस थाना सूरवाल
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर
अभियुक्तगण का विवरण	1. महावीर पुत्र भूरालाल उर्फ भंवर लाल निवासी त्रिलोकपुरा 2. भूरा उर्फ भंवर लाल पुत्र धन्ना निवासी त्रिलोकपुरा 3. कालूराम पुत्र धन्ना निवासी त्रिलोकपुरा
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री गिर्राज सिंह गुर्जर

B

घटना की दिनांक	03.08.2020
तहरीरी रिपोर्ट पेश करने की दिनांक	04.08.2020
FIR दर्ज होने की दिनांक	04.08.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	10.12.2020
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	22.11.2022
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	22.11.2022
बयान मुलजिम लिये जाने की दिनांक	17.03.2026
निर्णय दिनांक	05.06.2026

भाग –द्वितीय

अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी.डब्ल्यू.1	रामविलास	परिवादी
पी.डब्ल्यू.2	ममता	मजरूबा
पी.डब्ल्यू.3	राहुल	मजरूब
पी.डब्ल्यू.4	सोराज	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.5	राजमल	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.6	देवलाल	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.7	धर्मेंद्र	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.8	सुरज्ञान	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.9	डॉ. शिशिर	चिकित्सकीय साक्षी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी.3	धारा 164 सीआरपीसी बयान
4	प्रदर्श पी.4	चोट प्रतिवेदन राहुल
5	प्रदर्श पी.5	नक्शा मौका घटनास्थल
6	प्रदर्श पी.6	पुलिस बयान धर्मेंद्र
7	प्रदर्श पी.7	फर्द जप्ती
8	प्रदर्श पी.8 ता. 10	धारा 41 सीआरपीसी नोटिस

:: **निर्णय** :: दिनांक : 05.06.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामविलास ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि परिवादी रामविलास ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03.08.2020 को उसका पुत्र राहुल उसकी पुत्री ममता को ससुराल से मोटरसाइकिल से लेकर आ रहा था तो दिन के करीब 3 बजे भगवतगढ एसआर पेट्रोल पंप के पास त्रिलोकपुरा

चौराहे पर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया एवं महावीर, दिलखुश, रामस्वरूप, काल एवं भूरा ने पुत्र राहुल को पकड लिया और उसके साथ मारपीट की जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं एवं बीच बचाव ममता ने करवाया जिस पर मुल्जिमान ने ममता को पकड लिया और उसके साथ धक्का मुक्की की एवं ममता को नीचे गिरा दिया और उसके कपडों को खींचने लगे जिससे उसके कपडे अस्त व्यस्त हो गये और उसकी लज्जा भंग हो गई। मौके पर उपस्थित राजमल व देवीलाल ने उनका बीच बचाव करवाया ..... इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरवाल में FIR No. 127/2020, अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 354 IPC में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 354, 34 IPC के अपराध में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 354, 34 IPC का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के गवाहान को पृष्ठ संख्या 2 के भाग द्वितीय में दर्शाया गया है व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को पृष्ठ संख्या 2 पर भाग अ में दर्शाया गया है।

4. अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 जा.फौज. के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया एवं कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना प्रकट किया।

5. बहस अंतिम सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी की ओर से मौखिक बहस कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण पर परीक्षित मजरूबान के चोट प्रतिवेदन से मजरूबान के शरीर पर चोटें आना प्रमाणित है एवं पत्रावली पर परीक्षित गवाहान ने मुल्जिम द्वारा उनके साथ मारपीट किये जाने के तथ्य की पूर्ण रूप से पुष्टि की है। गवाहान के सशपथ कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपित अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

6. जबकि इसके विपरीत बचाव में अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस की गई है कि गवाहान के बयानों में विरोधाभास है एवं गवाहान के बयान अस्पष्ट हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 354, 34 IPC के अपराध के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराध के लिए दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदू यह है कि 'क्या अभियुक्तगण ने दिनांक

03.08.2020 को समय दिन के करीब 3 बजे मौजा ग्राम भगवतगढ में मजरूब राहुल एवं ममता को स्वेच्छ्या रास्ते जाते हुए को रोककर जिस ओर उसे जाने का पूर्ण विधिक अधिकार था, सदोष अवरोध कारित कर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में मजरूबान राहुल एवं ममता के साथ स्वेच्छ्या लाठी एवं सरियों से मारपीट कर उसके बदन पर साधारण चोटें कारित कर उस पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके साथ धक्का मुक्की कर उसे बेअदब कर उसकी स्त्री लज्ज़ा भंग कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 354, 34 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है? ' यदि हां, तो इसके लिए क्या उचित दण्ड होगा?

–:अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भा.दं.सं. के संबंध में न्यायालय का विनिश्चय:–

उक्त वर्णित अपराध के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि "क्या अभियुक्तगण ने उक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी राहुल एवं मजरूबा ममता को स्वेच्छ्या रास्ते जाते हुई को रोककर जिस ओर उन्हें जाने का पूर्ण विधिक अधिकार था, का सदोष अवरोध कारित किया एवं सामान्य आशय की पूर्ति में उनके साथ स्वेच्छ्या लाठी सरियों से मारपीट कर उनके बदन पर साधारण चोटें कारित की? "

8. अब यदि इस संबंध में पत्रावली पर परीक्षित गवाहान की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं मजरूब राहुल पी.ड.3 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना की दिनांक को अपनी बहन को लेकर गंगापुर से झोंपडा आ रहा था तो भगवतगढ में एसार पेट्रोल पंप के पास कुछ लोगों ने उन्हें पकड लिया और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके रामस्वरूप ने सिर में सरिये की मारी, बाकी ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं एवं उसकी बहन ममता बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की। राजमल और देवलाल ने उनका बीच बचाव करवाया। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह न इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह और उसकी बहन ही मौके पर मौजूद थे एवं जिस जगह घटना हुई, वहां कौन कौन थे, उसे जानकारी नहीं है एवं घटनास्थल पर एक मोड होना बताया है।

9. प्रकरण की अन्य मजरूबा ममता पी.ड.2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह और राहुल गंगापुर से झोंपडा गांव आ रहे थे तो पेट्रोल पंप के पास त्रिलोकपुरा मोड पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया जिसमें दिलखुश, रामस्वरूप, भूरा, कालू एवं महावीर थे और उन्होंने उनके साथ मारपीट की एवं इन लोगों ने उसके भाई राहुल के साथ मारपीट की। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना में उसके कोई चोट नहीं आई एवं किसी भी व्यक्ति ने बीच बचाव नहीं करवाया था।

10. इसके अतिरिक्त प्रकरण के परिवादी रामविलास पी.ड.1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना की दिनांक को दिन के तीन बजे उसका पुत्र राहुल और पुत्री ममता गंगापुर से झोंपडा गांव आ रहे थे तो रास्ते में त्रिलोकपुरा मोड पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की जिसमें भूरा, कालू एवं महावीर शामिल थे। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने घटना के बाद मौके पर आना स्वीकार किया है एवं स्वयं के कोई चोट नहीं आने का कथन किया है।

11. प्रकरण के अन्य गवाह राजमल पी.ड.5 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना की दिनांक को वह ग्राम भगवतगढ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गया तो राहुल और उसकी बहन मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो महावीर, कालू, भूरा ने उन्हें रोक लिया और महावीर ने सरिये से राहुल के सिर में मारी जिससे उसके सिर में खून आने लगा। उसने और अन्य लोगों ने उनका बीच बचाव करवाया। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि महावीर ने राहुल के सरिये की मारी जिससे पूरी खोपडी खुल गई एवं मौके पर 10–15 लोग भी इकट्ठा हो गये थे।

12. गवाह देवलाल पी.ड.6 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह उसकी पत्नी को छोडने अपने ससुराल भगवतगढ गया था तो पेट्रोल पंप के पास भूरा, कालू और महावीर व अन्य लोगों ने राहुल और उसकी बहन ममता को रोक लिया और महावीर ने राहुल के सिर में सरिये की मारी एवं बीच बचाव ममता ने करवाया तो महावीर ने उसका हाथ पकडकर धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया एवं उसके बाल खींच लिये और नीचे पटक दिया। जिरह में गवाह ने कथन किया कि जब वह मौके पर पहुंचा तब राहुल जमीन पर पडा हुआ था एवं राहुल के बायें पैर, सिर व दायें हाथ में चोट थी एवं उसकी बहन ममता के कोई चोट नहीं थी।

13. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुरज्ञान पी.ड.8 ने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान कार्यवाही की ताईद करते हुए अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मजरूब के कोई जाहिरा चोट नहीं थी एवं सभी गवाहान परिवादी पक्ष के परिजन होने का कथन किया है।

14. इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण के मजरूब राहुल पी.ड.3 ने अपने मुख्य परीक्षण में मुल्जिमान द्वारा लाठी डंडों से मारपीट किये जाने का कथन किया है एवं उक्त मारपीट में रामस्वरूप द्वारा उसके सिर में सरिये की मारने का कथन किया है। मजरूब के उक्त तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर परीक्षित अन्य गवाहान मजरूबा ममता पी.ड.2, परिवादी रामविलास

पी.ड.1, राजमल पी.ड.5, देवलाल पी.ड.6 ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से की है। इस संबंध में मजरूब के शरीर पर आई चोटों के संबंध में चिकित्सकीय साक्षी डॉ. शिशिर पी.ड.9 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि राहुल के सिर के बायें हिस्से में फटा हुआ घाव, बायें पैर पर फटा हुआ घाव, दायें पैर पर, दायें हाथ पर, बायें हाथ की कलाई पर रगडनुमा चोटें थीं एवं कमर पर पीछे की तरफ नीलगू व बायीं भुजा पर दर्द व दायीं तरफ दर्द व सूजन की शिकायत थी। जिरह में उक्त गवाह ने उक्त वर्णित चोटें स्वयं की चलती हुई मोटरसाइकिल से अनियंत्रित होकर ठोस धरातल पर गिरने से आना जाहिर किया है। इस प्रकार पत्रावली पर परीक्षित समस्त गवाहान की साक्ष्य से पक्षकारान के मध्य मारपीट होने का तथ्य पूर्ण रूप से प्रमाणित है एवं उक्त गवाहान की जिरह में भी उक्त तथ्यों का किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं हुआ है। साथ ही मजरूब राहुल पी.ड.3 के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि प्रकरण के चिकित्सकीय साक्षी डॉ. शिशिर पी.ड.9 ने अपने बयानों में करते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.4 से उक्त चोटों की पुष्टि की है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को उक्त वर्णित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:अपराध अंतर्गत धारा 354/34 भा.दं.सं. के संबंध में न्यायालय का विनिश्चय:–

उक्त वर्णित अपराध के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि "क्या अभियुक्तगण ने उक्त वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर मजरूबा ममता की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर लज्जा भंग कारित की? "

15. उक्त वर्णित अपराध के संबंध में न्यायालय का मत इस प्रकार है कि प्रकरण की मजरूबा ममता पी.ड.2 ने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में यह कथन किया है कि जब मुल्जिमानों ने उसके भाई राहुल के साथ मारपीट की तो उसने बीच बचाव करवाने का प्रयास किया जिस पर मुल्जिमानों ने उसके साथ छेडछाड की एवं उसके कपडे अस्त व्यस्त कर दिये। परंतु अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना में उसके कोई चोट नहीं आई थी एवं उसके साथ मुल्जिमानों ने कोई छेडछाड नहीं की परंतु बीच बचाव में उसके साथ लिपटा झिपटी हुई थी। इसके अतिरिक्त मजरूबा ममता ने अपने धारा 164 CRPC के बयान प्रदर्श पी.3 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि महावीर व दिलखुश ने उसकी बुर्सेट को दोनों ओर से खींचा जिससे उसकी बुर्सेट की चैन खुल गई और उसे आडा पटक दिया जिससे उसका लहंगा ऊपर हो गया और उसकी लज्जा भंग हो गई। इस संबंध में उक्त अपराध के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीडिता की स्त्री लज्जा भंग करने

के आशय से उक्त कृत्य किया गया। इस संबंध में स्वयं पीडिता ममता पी.ड.2 ने उक्त आशय का खंडन करते हुए न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके साथ मुल्जिमान ने छेडछाड नहीं की एवं बीच बचाव में में लिपटा झिपटी हुई थी। अतः उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से जिरह में छेडछाड के तथ्यों से इनकार किया है वरन उक्त लिपटा झिपटी महावीर के द्वारा बीच बचाव में अपने भाई राहुल पी.ड.3 को बचाने के दौरान आपस में खींचतान के दौरान होना जाहिर होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त वर्णित अपराध को भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, परिणामस्वरूप अभियुक्तगण उक्त वर्णित अपराध के लिए संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

–: आदेश :–

16. अभियुक्त 1. महावीर पुत्र भूरालाल उर्फ भंवर लाल निवासी त्रिलोकपुरा 2. भूरा उर्फ भंवर लाल पुत्र धन्ना निवासी त्रिलोकपुरा 3. कालूराम पुत्र धन्ना निवासी त्रिलोकपुरा को अपराध धारा 323, 341, 34 IPC के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं अपराध अंतर्गत धारा 354 IPC के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(गार्गी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

दण्ड के बिन्दु परः–

17. दण्ड के बिंदु पर सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित अपराध के लिए अभियुक्तगण को कठोर दंड से दण्डित किया जावे। जबकि इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से बहस की गई है कि प्रकरण वर्ष 2020 से लंबित है तथा अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी। अतः अभियुक्तगण को परीविक्षा का लाभ दिया जावे।

18. चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं उक्त वर्णित अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। अतः अभियुक्तगण के प्रथम अपराध एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

19. अतः अभियुक्त 1. महावीर पुत्र भूरालाल उर्फ भंवर लाल निवासी त्रिलोकपुरा 2. भूरा उर्फ भंवर लाल पुत्र धन्ना निवासी त्रिलोकपुरा 3. कालूराम पुत्र धन्ना निवासी त्रिलोकपुरा को अपराध धारा 323, 341, 34 IPC के आरोप में दोषसिद्धि के लिए उन्हें तत्काल किसी दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देते हुये आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 1–1 साल की अवधि बाबत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक करा लेता है कि वह उक्त अवधि में शांति एवं सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जावेगा तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1500–1500 रुपये अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किये जाते हैं। अभियुक्तगण के इस न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(गार्गी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

20. निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(गार्गी चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर